न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 45/2025 दायर तारीख :– 30.05.2025

1. सुभाष चन्द सांखला पुत्र छीतरमल खटीक जाति खटीक निवासी किशनगढ रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर (राज.)।
2. हरिराम पुत्र रतना उर्फ रामरतन जाति बलाई
3. भगवान सहाय रैगर पुत्र चुन्नीलाल रैगर जाति रैगर
   निवासीयान किशनगढ रेनवाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री शंकरलाल काजला अधिवक्ता प्रार्थी
श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2,3
राज पेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0ऐक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक : 24/11/25

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वाके ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर का निवासी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से आराजी खसरा संख्या 1821/794 रकबा 0.1667 हैक्टैयर क्रय की थी प्रार्थी की क्रयशुद्धा भूमि का विभाजन किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को अलग अलग खरा नम्बर आवंटित हुए वर्तमान में प्रार्थी की भूमि की खाता संख्या 899 पुराना खाता संख्या 564 खसरा नम्बर 1821/794 रकबा 0.1667 हैक्टैयर भूमि किस्म बंजड 1 पटवार हल्का रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2,3 की वर्तमान में आराजी खाता संख्या नया 934, पुराना 898 की खसरा नम्बर 1907/1822 रकबा 1.6533 हैक्टैयर वाके ग्राम रेनवाल भू0अ0नि0 रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल में स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के मध्य सहमति से विभाजन हो जाने के बाद राजस्व नक्शा में प्रार्थी के खसरा संख्या 1821/794 रकबा 0.1607 हैक्टेयर की तरमीम भूलवश से मौके पर काबिज स्थिति से अलग जगह पर राजस्व रिकोर्ड में खसरा संख्या 1821/794 का नक्शा तरमीम हो गया तथा प्रार्थी की आराजी का नक्शा प्रार्थी के मौके पर काबिज काश्त स्थिति से भिन्न जगह पर अंकित हो रखा है। जबकि प्रार्थी का कब्जा मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा संभलाई गई जगह पर ही है परन्तु प्रार्थी की आराजी का राजस्व रिकोर्ड में नक्शा मौके की स्थिति से भिन्न जगह पर तरमीम हो जाने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2के मध्य विवाद होता रहता है राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी की आराजी का सही जगह पर नक्शें में तरमीम नहीं होने के कारण प्रार्थी राजकीय सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1821/794 के नक्शें की राजस्व रिकोर्ड में गलत जगह पर तरमीम हो जाने की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 23.04.2025 को हुई जब अप्रार्थी संख्या 2 के खिलाफ विचाराधीन वाद सुमन देवी बनाम हरिराम वगै0 वाद बाबत विभाजन आराजी में तहसीलदार व तहसीलदार के कर्मचारी मौके पर आकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की आराजीयात की नाप चौक कर नक्शें कुर्रेजात बनाये उस समय प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी की आराजी का नक्शा मौके पर काबिज

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

प्रार्थी के खसरा नम्बर 1821/794 स्थान से अलग जगह पर तरमीम हो रखा है। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बहाने नक्शें में सही करवाने के लिए कई बार कहा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बहाने बाजी बनाते रहे लेकिन उक्त खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेस को राजस्व रिकोर्ड में मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार दुरूस्त कर सही जगह पर नक्शें में तरमीम नहीं किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने सक्षम न्यायालय से प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर के नक्शें को राजस्व रिकोर्ड में मौके पर कब्जे की स्थिति के अनुसार दुरूस्तीकरण करवाने का आदेश लाने को कहा इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के सक्षम प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3की ओर से वकील नरेन्द्र कुमार वर्मा उपस्थित हुए तथा राजीनामा पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रार्थी की आराजी के नक्शें में पूर्व में नक्शें में तरमीम करते समय हुई गलती को दुरूस्त कर मौके पर प्रार्थी की कब्जा की स्थिति के अनुसार सही राजस्व नक्शा रिकोर्ड में तरमीम किया जाता है तो प्रार्थी संख्या 2 व 3 को कोई ऐतराज नहीं है। अप्रार्थी संख्या1 तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें उन्होने यह अंकित किया कि नामान्तकरण संख्या 5756 निर्णय दिनांक 31.07.2025 जरिये सहमति विभाजन के आराजी खसरा नम्बर 794/1274 विभाजित होकर नवीन खसरा नम्बर 1820/794,1821/794,1822/794 दर्ज हुआ मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 899 खसरा नम्बर 1821/794 रकबा 0.1607 है0 सुभाष चन्द सांखला पुत्र छितर राम खटीक हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा0 देह खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। खसरा नम्बर 1821/794 की मौका स्थिति एंव राजस्व रिकार्ड की स्थिति में भिन्नता है व आराजी खसरा नम्बर 1821/794 रकबा 0.1607 है0 , खसरा नम्बर 1908/1907 रकबा 1.5521 है0 भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार नक्शा तरमीम व मौके कब्जे अनुसार संशोधित नक्शा तरमीम प्रस्ताव तैयार पेश किया है।

3. प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 1821/794 की तरमीम को जो आराजी मूल खसरा नम्बर 794/1274 के आपसी सहमति से विभाजित खसरा नम्बर 1820/794, 1821/794, 1822/794 के नामान्तकरण को राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करते समय तरमीम में अशुद्धि को तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित संशोधित तरमीम प्रस्ताव अनुसार शुद्ध किये जाने हेतु निवेदन किया।

4. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे नकल जमाबन्दी खसरा नम्बर 1821/794, 1907/1822, नक्शा खसरा नम्बर 1821/794, 1907/1822 तथा दौराने बहस आपसी से सहमति से विभाजित खसरा नम्बरा 794/1274,794/1275 के विभाजन प्रस्ताव की नकल, नकल नक्शा ट्रेस के प्रमाणित फोटो प्रति की छायाप्रति पेश की।

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एंव प्रार्थी की बहस पर मनन किया। यहा पर सुसंगत विधिक प्रावधान राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का उल्लेख आवश्यक है जिसके अनुसार **"136 Correction of error :- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register , or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Registe :Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall**

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

be Corrected unless a notice to show cause has been given to the parties "

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है कि भू अभिलेख की त्रुटियों को हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर तथा रिकोर्ड निरीक्षण के दौरान राजस्व अधिकारी स्वंय द्वारा सुधार किया जा सकता है। बशर्ते प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाए।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पेश नामांतकरण संख्या 3756 दिनांक 31.07.2023 आपसी सहमति से विभाजन किया गया जिसकी प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरा संख्या 794/1274 के विभाजन से खसरा नम्बर 794/1274/2 रकबा 0.1607 हैक्टैयर बनाया गया तथा विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में 794/1274/2 को पश्चिम की तरफ दर्शाया गया है। वर्तमान राजस्व नक्शें में विभाजन प्रस्ताव में दर्शाये खसरा नम्बर 794/1274/2 रकबा 0.1607 हैक्टैयेर का नवीन खसरा नम्बर 1821/794 रकबा 0.1607 है0 दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1909/1907 के उत्तरी सीमा की ओर दर्ज है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट जाहिर होता है कि खसरा संख्या 1821/794 रकबा 0.1607 है0 की तरमीम वर्तमान राजस्व नक्शें में त्रुटिपूर्ण है। तहसीलदार कि0रेनवाल के पत्रांक 5648 दिनांक 24.10.2025 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी आराजी खसरा संख्या 1821/794 की मौके व राजस्व रिकोर्ड अनुसार नक्शें का मिलान नहीं होने का उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम प्रार्थी के द्वारा पेश दस्तावेजो व तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से साबित होने के कारण तहसीलदार कि0 रेनवाल पत्रांक भू0अ0/2025/5648 दिनांक 24.10.2025 द्वारा प्रस्तुत संशोधित नक्शा तरमीम प्रस्ताव अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1821/794 रकबा 0.1607 हैक्टैयर वाके ग्राम रेनवाल के तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार कि0 रेनवाल को प्रदान किये जाते है। इस हेतु तहसीलदार कि0 रेनवाल को तहरीर जारी हो। तहसीलदार कि0 रेनवाल के द्वारा पेश प्रस्तावित नक्शा राजस्व ग्राम रेनवाल खसरा नम्बर 1821/794 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 24/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल
सत्यमेव जयते